न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, सी.आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 25/2019/अपील

मैसर्स भास्कर इण्डस्ट्रीज झुन्झुनूं जरिये प्रोपराईटर मीना देवी पत्नी सुरेन्द्र अग्रवाल, जाति महाजन निवासी एचआइ नम्बर 273 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, झुन्झुनूं राज.।

अपीलान्ट

बनाम

प्रबंधक नागरिक आपूर्ति रसद विभाग, सीकर।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–

1. श्री सूरजभान सिंह अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री जिला रसद अधिकारी सीकर रेस्पोडेन्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत जनरल टर्म्स एण्ड कन्डीशन ऑफ बिड एण्ड कांन्ट्रेक्ट विरूद्व आदेश दिनांक 05.07.2019 द्वारा प्रबंधक नागरिक आपूर्ति जिला रसद विभाग सीकर

निर्णय

निर्णय दिनांकः 19 सितम्बर, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि :–

(1) राजस्थान राज्य फूड एण्ड सिविल स्पालाईज कॉरपोरेशन लि0 ने सीकर जिले में गेहूं व चीनी के ट्रांस्पोस्टेशन के लिए निविदा जारी का आवेदन आमंत्रित किये जिसमें तकनीकी व वित्तीय शर्त दोनों का अलग–अलग पालन करने की शर्त थी। तकनीकी बिड में अपीलान्ट फर्म के अलावा अन्य चार फर्मो ने भी भाग लिया, उसके बाद अपीलान्ट की फर्म के अलावा शेष चार फर्म तकनीकी बिड में अयोग्य घोषित कर दी गई। जिस के बाद में वित्तीय बिड खोलने से पूर्व ही राजस्थान लोक उपाजन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 63(4) का गलत तरीके से हवाला देकर निविदा को समाप्त करने का आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ अधिकारी का उक्त निर्णय विधि विरूद्व होने के कारण निरस्तनीय है।

(2) राजस्थान लोक उपाजन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 63(4) में यह है कि तकनीकी मूल्याकंन में प्रतिस्पर्दा में शामिल होने वाले व्यक्तियों व फर्मों की संख्या

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

तीन से कम नहीं होनी चाहिए जब कि वर्तमान प्रकरण में प्रतिस्पर्दा में शामिल व्यक्तियों की संख्या 5 है इसलिए इस नियम का गलत अर्थ लगाकर मेरी निविदा अवैध रूप से निरस्त की गई है।

(3) राजस्थान लोक उपाजन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 68 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि वित्तीय मूल्यांकन में केवल एक व्यक्ति भी हो सकता है उसकी निविदा को निरस्त करने की जो पांच शर्त बतायी हैं इस आधार पर ही निरस्त किया जा सकता है। पांचों ही शर्त अपीलान्ट पर लागू नहीं होती है तथा वे शर्तें भी वित्तीय मूल्यांकन को खोलने क बाद देखी जाती है। वर्तमान प्रकरण में वित्तीय मूल्यांकन देखने से पूर्व ही अपीलान्ट की निविदा निरस्त कर दी गई है।

(4) राज्य सरकार ने इस निविदा के लिए जो जनरल रूल्स एण्ड कन्डीशन ऑफ बिड एण्ड कान्ट्रेक्ट के क्लाज 25(5) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि निविदा समाप्ति का अधिकार केवल मात्र विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर को ही है अन्य किसी को नहीं है लेकिन अधीनस्थ अधिकारी ने बिना अधिकार के ही मनमाने तरीके से निविदा निरस्त करने का निर्णय पारित कर दिया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2019 को निरस्त किया जाकर, प्रार्थी की वित्तीय बिड खोली जाकर, अपीलान्ट को सफल निविदादाता घोषित किये जाने का आज्ञा प्रदान करें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से जिला रसद अधिकारी सीकर उपस्थित आये। वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस पेश की गई।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि राजस्थान लोक उपाजन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 63(4) के अनुसार तकनीका मूल्याकंन में प्रतिस्पर्दा में शामिल होने वाले व्यक्तियों व फर्मों की संख्या तीन से कम नहीं होनी चाहिए जब कि वर्तमान प्रकरण में प्रतिस्पर्दा में शामिल व्यक्तियों की संख्या 5 है। राजस्थान लोक उपाजन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 68 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि वित्तीय मूल्यांकन में केवल एक व्यक्ति भी हो सकता है उसकी निविदा को निरस्त करने की जो पांच शर्त बतायी हैं इस आधार पर ही निरस्त किया जा सकता है। पांचों ही शर्त अपीलान्ट पर लागू नहीं होती है तथा वे शर्तें भी वित्तीय मूल्यांकन को खोलने क बाद देखी जानी थी। निविदा समाप्ति का अधिकार केवल मात्र

जिला कलक्टर (राज.)

ा कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

9929603982

अधिकारी ने बिना अधिकार के ही मनमाने तरीके से निविदा को कर दिया। इसलिए नियमों का गलत अर्थ लगाकर अपीलान्ट की निविदा अवैध रूप से निरस्त की गई है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2019 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी की वित्तीय बिड खोली जाकर, अपीलान्ट को सफल निविदादाता घोषित किये जाने का श्रम करें।

5. रेस्पोडेन्ट की ओर से जिला रसद अधिकरी सीकर ने जवाब में अभिकथन किया कि :–

(1) राजस्थान लोक उपाजन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 63(4) के अनुसार यह स्पष्ट है कि तकनीका बिडो के मूल्यांकन उपरांत प्राप्त एकल निविदा को अंतिम रूप दिये जाने हेतु उपापन समिति बाध्य नहीं है।

(2) राजस्थान लोक उपाजन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधान अनुसार बिना वित्तीय बिड खोले तकनीकी मूल्यांकन पश्चात निविदा को जारी नहीं रखने का निर्णय ले लिये जाने से समिति के निर्णयों की क्रियान्विति हेतु आदेश प्रसारित किया गया है, जो पूर्णतया विधिसम्मत है।

(3) आरटीपीपी एक्ट 2012 व नियम 2013 के नियम 72 के अनुसार उपापन संस्था को संवीदा के अधिनियम से पूर्व किसी भी समय समस्त बोलियों को अस्वीकार करने बोली प्रक्रिया को रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।

(4) आरटीपीपी एक्ट 2012 व नियम 2013 के नियम 40–डी तथा जारी निविदा की सामान्य शर्त पृष्ठ संख्या 17 iv-(d) पर अंकित प्रावधान के अनुसार उपापन प्रक्रिया को निरस्त करने पर अपील का प्रावधान भी नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाने का श्रम करें।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का बगौर अवलोकन किया कि :–

(1) कार्यालय प्रबन्धक (नागरिक आपूर्ति) राज. राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 सीकर के पत्र दिनांक 05.07.2019 के अनुसार महाप्रबन्धक (वित्त) राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम लि0 जयपुर के पत्र दिनांक 04.06.2019 से प्रकाशित शर्तों के अनुसार दिनांक 28.06.2019 को उपापन समिति के सम्मुख खोलते हुए तकनीकी बिड का उपापन समिति द्वारा परीक्षण /मूल्यांकन किया गया। तकनीकी समिति के मूल्यांकन परिणाम अनुसार पांच में से केवल एक बिडदाता का फर्म का नाम मापदण्डानुसार स्वीकार किया गया है। राजस्थान लोक उपाजन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 63(4) के प्रावधानों अनुसार तकनीकी मूल्यांकन में अर्हित फर्म की संख्या तीन से कम नहीं होना चाहिए यदि तीन से कम हैं और उपापन

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

संस्था द्वारा यह आवश्यक समझा जाता है कि उपापन प्रक्रिया को जारी रखा जावे तो उनके कारणों को अभिलिखित किया जाएगा एवं कार्यवाही में सम्मिलित किया जायेगा, को मध्येनजर रखते हुए एक ही निविदादाता फर्म तकनीकी मापदण्डानुसार पूर्ण पाये जाने से उपापन समिति में विचार विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त निविदा में प्रतिस्पर्द्धा की कमी होने के कारण निविदा को जारी रखना उचित नहीं मानकर महाप्रबन्धक (वित्त) राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम लि0 जयपुर के पत्र दिनांक 04.06.2019 से प्रसारित ई निविदा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

(2) राजस्थान लोक उपाजन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 63(4) में अंकित है:–" The number of firms qualified in technical evaluation should not generally be less than three. If the number is less than three and it is considered necessary by the procuring entity to continue with the procurement process, reasons shall be recorded in whriting and included in the record of the procurement proceedings."

(3) राजस्थान लोक उपाजन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 68(3) में अंकित है.– " The procuring entity competent to decide a procurement case, as per delegation of financial powers, shall decide as to whether to sanction the single bid or re-invite bids after recording its reasond for doing so."

7. उपरोक्त पैरा संख्या 6 के विवेचन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2019 विधिसम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है।

8. निर्णय आज **दिनांकः 19 सितम्बर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर. मीना)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner